मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

कमांक 🔏 🥙 128 / 2018 / नियम / चार

भोपाल, दिनांक । 🖫 🏸 । 🗧

शासन के समस्त विभाग, समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव मध्यप्रदेश शासन।

विषय :--

मध्यप्रदेश बुक ऑफ फायनेंसियल पावर्स, 2012 भाग-1 के अंतर्गत वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन।

मध्यप्रदेश बुक ऑफ फायनेंसियल पावर्स, 2012 भाग-1 सेक्शन 5 की मद क. 5.3 अंतर्गत प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकारों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:--

Sr. No.	Reference to existing rules etc.	Description	Authority competent to exercise the powers	Extent of delegation	Conditions
1	2	3	4	5	6
5.3	9	(i) Sanction purchase of new computer hardware, software and peripherals for a	(i) Administrative Department.	Full powers.	(i) Project must have been approved by the Empowered Committee chaired by Chief Secretary.
		project, both during implementation/maintenance phase.	(ii) Head of Department.	Up to Rs. 50.00* lakh in a project.	(ii) Procurement shall be initiated after approval of project as new item of expenditure.
,					* This does not include furniture and Air-conditioner.
		(ii) Sanction expenditure on Internet charges (Data Usage) for a project.	Head of office.	Full powers.	(i) The expenditure should be only on account of fixed and/or variable charges billed by the service provider on account of data usage and is not to be clubbed with

Rule-301

	telephone charges of the same service provider.
	(ii)This power is applicable for head of office at the level of district and above.

2. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

> प्रमुख सचिव म0प्र0शासन,वित्त विभाग

पृष्ठा.कमांक 1 3 ६ म्/ 128 / 2018 / नियम / चार प्रतिलिपि:— भोपाल, दिनांक 13,7,18

1. समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश भोपाल।

2. महालेखाकार (लेखा और हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल

आयुक्त कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश।
 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित।

(अजयं चौबे) उप सचिव म.प्र.शासन,वित्तं विभाग